

समाज कल्याण विभाग गाजियाबाद।

प्रेस - विज्ञप्ति

समस्त प्रधानाचार्य/प्राचार्य/रजिस्ट्रार/निदेशक, इण्टर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, महाविद्यालय, टैक्नीकल संस्थाये, व्यावसायिक एवम् मैनेजमेण्ट संस्थाओ, मैडीकल संस्थाये को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2010-11 में समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति एवम् शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु जिनके अभिभावक की आय एक लाख से कम है के पात्र छात्रो हेतु, के लिये फीडिंग का कार्य आप ही को किया जाना है जिसके लिये साफ्टवेयर विभागीय बेबसाइट <http://swd.up.nic.in/FeeR.htm> से डाउनलोड किया जा सकता है। साफ्टवेयर में फीडिंग उपरान्त छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र मय समस्त सलंगनको कें, सी0डी0, हार्ड कॉपी व जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद से हस्ताक्षरित अनुबन्ध पत्र के साथ सम्बन्धित विभागो में जमा कराना सुनिश्चित करे। जिसके लिये अन्तिम तिथि 30.09.2010 निर्धारित की गई है। जिन संस्थाओ द्वारा अभी तक नवीन छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र विभागो से प्राप्त नहीं किये गये वह इसको बेबसाइट <http://ghaziabad.nic.in> में समाज कल्याण विभाग के मीनू में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। एवम् अधिक जानकारी/सूचना देने के लिये समाज कल्याण विभाग के ई-मेल dswghaziabad@dirsamajkalyan.in से सम्पर्क किया जा सकता है।

(संजीव नयन मिश्र)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
गाजियाबाद।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक ८२४२७/स0क/विज्ञापन/छात्रवृत्ति/2010-11 दिनांक सितम्बर 10 2010।

1. सम्पादक, हिन्दी दैनिक जागरण को इस आशय के साथ कि कृपया इसे आगामी अंक में सःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करे।
2. सम्पादक, दैनिक हिन्दुस्तान को इस आशय के साथ कि कृपया इसे आगामी अंक में सःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करे।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद को इस आशय के साथ कि वह भी अपने स्तर से इस सम्बन्ध में समस्त इण्टर/डिग्री कॉलेजो को सूचित करने का कष्ट करे।
4. समस्त प्रधानाचार्य/प्राचार्य/रजिस्ट्रार/निदेशक, इण्टर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, महाविद्यालय, टैक्नीकल संस्थाये, व्यावसायिक एवम् मैनेजमेण्ट संस्थाओ, मैडीकल संस्थाये को इस आशय के साथ कि वह इस सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करे। ताकि आपकी संस्था की माँगनुसार धनराशि की माँग निदेशालय से की जा सकें।
5. जिला पिछडा वर्ग /अल्पसंख्यक वर्ग कल्याण अधिकारी, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित की वह भी अपने स्तर से इस सम्बन्ध में कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(एन0आई0सी0) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया प्रेस विज्ञप्ति व आवेदन पत्र को जनपद गाजियाबाद की बेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करे।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
गाजियाबाद।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र

1. विद्यालय/संस्था का नाम/पता
2. शिक्षा सत्र
3. छात्र/छात्रा का पूरा नाम
4. जन्म तिथि
5. हाईस्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष बोर्ड
अनुक्रमांक
6. लिंग (पुरुष/स्त्री)
7. पिता का नाम व व्यवसाय
8. माता का नाम व व्यवसाय
9. विधिक अभिभावक का नाम व व्यवसाय
(यदि माता पिता से भिन्न हो)
10. श्रेणी उप जाति धर्म
(1. सामान्य 2. अनुसूचित जाति 3. अनुसूचित जनजाति 4. अन्य पिछड़ा वर्ग 5. अल्पसंख्यक)
11. पूरा स्थायी पता
12. पत्र व्यवहार का पूरा पता
13. कक्षा/पाठ्यक्रम का पूरा नाम
14. पाठ्यक्रम की अवधि
15. कक्षा/पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि
16. वर्तमान वर्ष में छात्र/छात्रा के पाठ्यक्रम का वर्ष प्रवेश तिथि
17. कक्षा में प्रवेश का प्रकार (नियमित सीट/स्ववित्त पोषित सीट)
18. माता/पिता/पति की सभी स्रोतों से वार्षिक आय आय प्रमाण पत्र
संख्या (यदि माता/पिता जीवित न हो तो विधिक अभिभावक कर वार्षिक आय)
19. आवासीय छात्र/दिवा छात्र (उल्लेख करें)
20. छात्र/छात्रा के बैंक का नाम शाखा का नाम
खाता सं. (जनपद के बाहर का खाता मान्य नहीं होगा)
21. पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति की धनराशि (अंको में) (शब्दों में)
22. पाठ्यक्रम हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदित वार्षिक नाम रिफण्डेबिल अनिवार्य शुल्क
धनराशि (अंको में) (शब्दों में)
यदि पूर्व में वर्तमान अध्ययन अवधि में कोई अन्तराल/व्यवधान (गैप) हो तो उसका प्रूप
विवरण शपथ पत्र में संलग्न करें।

घोषणा-पत्र

हम घोषित करते हैं कि उपरोक्त सूचनायें सही हैं, मुझे अन्य किसी स्रोत से दूसरी छात्रवृत्तियाँ प्राप्त नहीं हो रही हैं तथा मैं कहीं भी सवोरत नहीं हूँ।

यदि कोई सूचना एवं संलग्न आय व जाति प्रमाणपत्र त्रुटिपूर्ण पायी जाये तो छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित वापस कर दूंगा/दूंगी एवं विभाग मेरे खिलाफ समुचित विधिक कार्यवाही के लिये स्वतंत्र होगा।

माता/पिता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

(माता/पिता की मृत्यु की दशा में विधिक रूप से घोषित अभिभावक)

उपरोक्त सूचनाओं का सत्यापन संस्थान स्तर पर कर लिया गया है।

प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर

आवेदन पत्र भरने के दिशा-निर्देश

1. आवेदन पत्र स्वच्छ हस्तलिपि में हिन्दी/अंग्रेजी में भरे जाये।
2. श्रेणी में आवेदक द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग/अल्पसंख्यक जैसी स्थिति ही अंकित किया जाये।
3. आय प्रमाणपत्र मूल रूप में संलग्न किया जाय।
4. हाई स्कूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाये।
5. आवेदन पत्र पर संलग्न फोटो इस प्रकार प्रमाणित की जाय की हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर आये।
6. छात्र का बैंक खाता उसी जनपद में होना चाहिये जिस जनपद में संस्था स्थित है।
7. आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों में जाँचोंपरान्त यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो आवेदक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
8. स्थायी एवं पत्र व्यवहार के पते में निम्न प्रकार से प्रविष्टियाँ की जाय :-

(क) ग्रामीण क्षेत्र : ग्राम..... ग्राम पंचायत..... पोस्ट आफिस.....
 विकास खण्ड.....थाना क्षेत्र.....तहसील..... जनपद.....

(ख) शहरी क्षेत्र : मकान संख्या..... वार्ड/मुहल्ला..... पोस्ट आफिस.....
 थाना क्षेत्र..... शहरी निकाय.....तहसील..... जनपद.....